निजि शिक्षण संस्थान के लिए :-

(3)

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/15 /26/निःशुल्क/10-11/वो-1/127 दिनांक: 03/ Nov. 2011

1. समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषयः- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण करने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सम्पूर्ण देश में दिनांक 01 अप्रेल 2010 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है पर लागू होते हैं, चाहे वह विद्यालय अनुदानित अथवा गैर-अनुदानित हों तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हो या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हों अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था से सम्बद्ध हों। उक्त अधिनियम राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वैबसाइट (www.rajssa.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 38 में राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम की क्रियांविति हेतु "राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011" निर्मित कर मार्च 29, 2011 को अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियम राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उक्त अधिनियम में विधार्थियों के प्रवेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं जिनकी पालना सुनिश्चित किया जाना समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी विधालयों के लिए बाध्यकारी हैं। इस संबंध में आपका ध्यान निम्नांकित प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है-

- उक्त अधिनियम की धारा 13(1) में यह प्रावधान है कि कोई भी विधालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा (shall not collect any capitation fee) और बालक

P.03

21-NOV-2011 18:18

या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया (screening procedure) के अधीन नहीं रखेगा।

- ''अनुवीक्षण प्रक्रिया'' को उक्त अधिनियम की धारा 2 में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

  ''अनुवीक्षण प्रक्रिया'' से किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है।

  "screening procedure" means the method of selection for admission of a child, in preference over another, other than a random method."

उक्त अधिनियम की धारा 35(1) के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यांवयन के प्रयोजनों हेतु ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने उनके पत्र क्रमांक 1-15/2010-EE-4 दिनांक 23/11/2010 के द्वारा भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं:-

(1) With regard to admissions in class I (or re-primary class as the case may be) under section 12(1)(c) of the RTE Act in unaided and "specified category" schools, schools shall follow a system of random selection out of the applications received from children belonging to disadvantaged groups and weaker sections for filling the pre-determined number of seats in that class, which should not be less than 25% of the strength of the class.

(2) For admission to the remaining 75% of the seats (or a lesser percentage depending upon the number of seats fixed by the school for admission under section 12(1)(c) in respect of unaided schools and specified category schools, and for all the seats in the aided schools, each school should formulate a policy under which admissions are to take place This policy should include criteria for categorisation of applicants in terms of the objectives of the school on a rational, reasonable and just bases. There shall be no profiling of the child based on parental educational qualifications. The policy should be placed by the school in the public domain, given wide publicity and explicitly stated in the school prospectus. There shall be no testing and interviews for the child/parent falling within or outside the categories, and selection would be on a random basis. Admissions should be made strictly on this basis."

उक्त अधिनियम तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरुप समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश की स्पष्ट नीति बनाई जानी आवश्यक है जिसमें निम्न प्रावधानों को स्पष्ट रुप से सम्मिलित किया जावे:-

1- अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान के अनुरुप समस्त गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य लागू होता है, कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को प्रवेश देंगे। "दुर्बल वर्ग" तथा "असुविधाग्रस्त समूह" को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.21(19)Edu.1/E.E./2009 दिनांक 29 मार्च, 2011 के द्वारा परिभाषित किया गया है। दोनों अधिसूचनाओं की प्रतिलिपि राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2- "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को विद्यालय में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिये आवेदन पत्र गुलाबी (PINK) रंग के होंगे तथा इस श्रेणी (category) के बालक/बालिकाओं से प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्रों को एक पृथक रजिस्टर में क्रमवार दर्ज किया जायेगा। समस्त आवेदन पत्रों की पावती (RECEIPT) आवश्यक रुप से छात्र/अभिभावक को निर्धारित प्रपत्र में दी जानी है।

3- "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालक/बालिकाओं हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों हेतु प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्र इस श्रेणी (category) की सीटों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 10 के प्रावधानानुसार लॉटरी द्वारा प्रवेश प्रदान किया जायेगा। लॉटरी की कार्यवाही शाला प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) के सदस्य एवं अभिभावकों की उपस्थिति में समपन्न की जायेगी। लॉटरी निकालने की दिनांक, समय व स्थान का प्रचार-प्रसार पर्याप्त समय पूर्व करना आवश्यक होगा।

4- प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा।

5- विद्यालय मे 1 से 8 की कक्षाओं में प्रवेश के लिये किसी भी बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षण को किसी अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी विद्यालयों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रखी जावे तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को आमजन के सूचनार्थ प्रसारित किया जावे।

6- प्रत्येक गैर-सरकारी विद्यालय उक्त प्रावधानानुसार अपने विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया तैयार कर दिनांक 30.11.2011 तक मय टाइम-फ्रेम प्रपत्र-13 के अनुसार जारी करेगा।

7- सभी गैर-सरकारी विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया को शाला के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। यदि उस विद्यालय की वेबसाइट हो तो उस पर भी शर्तें व अन्य माध्यमों से सार्वजनिक डोमेन (public domain) में रखेंगे। सभी विद्यालय निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को उनकी शाला के प्रोस्पेक्टस (prospectus) में भी सम्मिलित करेंगे।

8- तय की गई प्रवेश प्रक्रिया की एक प्रति प्रत्येक गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा अपने परिक्षेत्र के नोडल प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे। उक्त प्रवेश प्रक्रिया के प्रबोधन (मॉनिटरिंग) के लिये संलग्न प्रपत्रों अनुसार (प्रपत्र संख्या 1 से 13) परिवीक्षण कर गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।

9- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार सभी गैर सरकारी विद्यालयों को पालना हेतु पाबन्द करें। नोडल प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय), ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी उनके परिक्षेत्र में स्थित गैर सरकारी विद्यालयों की 14.11.2011 तक बैठक लेकर उन्हें उक्तानुसार जानकारी देकर पालना हेतु निर्देशित करेंगे।

10- नोडल प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय), ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी उनके क्षेत्र की पंचायत राज संस्थाओं / नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को उक्त बैठक में आमंत्रित करेंगे ताकि पंचायती राज संस्थाओं / नगरीय निकायों के माध्यम से "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों का गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करवाया जा सके।

11- "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालक/बालिकाओं हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिये गये बालकों की सूचना का निर्धारित प्रपत्र में संकलन करेंगे। नोडल प्रधानाध्यापक इस सूचना को शाला-वार संकलित कर ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी को, ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) उप निदेशक (प्रा.शि.) को तथा उप निदेशक (प्रा.शि.) निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार—13 प्रपत्र

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र व संलग्न प्रपत्र 1—13 को विभाग की वैबसाइट पर प्रकाशित करवाने हेतु।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर को पत्र व संलग्न प्रपत्र 1—13 को परिषद् की वैबसाइट www.rajssa.nic.in पर प्रकाशित करने हेतु।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. शासन उप सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा(ग्रुप—5)विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.9(1)शिक्षा—5/2010पार्ट दिनांक 31.10.11 के क्रम में।
5. प्रधान सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, बीकानेर को प्रकाशनार्थ (सात प्रतियों मे)।

अति. निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर